No. EDN-H (21) B (15)10/2010 DM-Vol-II-L

Directorate of Higher Education Himachal Pradesh Shimla -1

Tel: 0177-2653120, Extn234 FAX: 2812882Email: genbr@redifmail.Com

Dated:

Shimla

the

9 October, 2014

0 9 OCT 201

To

1. All the Principals Govt. Degree Colleges of H.P

2. All the Principals/Headmasters of GSSS/GHS, Himachal Pradesh

miliaciiai r

Subject: -

Regarding Proceeding of Meeting of H.P State Disaster Management Authority".

Memo:-

As per the decision taken in meeting of H.P State Disaster Management Authority held on 11.07.2014 under the chairmanship of Hon'ble Chief Minister regarding the preparation for South West Monsoon and Winter season 2014-15. It has been decided that Mock drill should be conducted in schools and all such places/buildings which attracts large number of gathering/visitors in all important establishments of Government with a view to sensitize people to disaster.

Therefore, you are directed to conduct Mock Drill to sensitize the student to earthquake/Disaster twice a year i.e. on 4th April (Anniversary of Kangra Earthquake) and 13th October (International Disaster Reduction Day) every year.

Further, it may also be included in the activity calander of colleges/schools as a regular activity. Guidelines for conducting Mock drill are attached herewith.

Encls.

Guidelines for conducting Mock Drill.

Director of Hr. Education Himachal Pradesh the 9 October, 2014

Endst. No. Even dated Shimla-1 Copy of Information and necessary action is forwarded to:-

1. The Principal Secretary (Education) to the Government of Himachal Pradesh w.r.t No.Shiksha-11-Chh (10)-2/2007-V-I dated 11-8-2014 for information please.

 The Principal Secretary (Revenue-DM Cell) to the Government of Himachal Pradesh for information please.

- 3. All the Deputy Directors of Higher Education, Himachal Pradesh with the direction to take appropriate action and send the report to this office accordingly.
- 4. The Supdt. G-II, Monitering Cell, Directorate of Higher Education Shimla.
- 5. The Technical Officer, Directorate of Higher Education is requested to upload the same on departmental website.

6. Guard File.

Director of Hr. Education Himachal Pradesh

स्कूल सुरक्षा तैयारी अभ्यास, मार्गदर्शिका

- 1. ड्रिल से पहले की जाने वाली व्यवस्था निम्नलिखित कार्यी के लिए प्रावधान किया गया है और जिम्मेदारी सोंपी गई है:
 - a. बच्चों के बाहर जाने के लिए अनुकूलतम बाहर निकलने के रास्ती निर्धारित करना 🗸
 - b. बाहर निकलने के बाद इकट्ठे होने के लिए खुले, सुरक्षित असेबली क्षेत्र की पहचान
 - c. असेंबली क्षेत्र चिहिनत करना
 - d. बाहर निकलने के मार्गों और असेंबली क्षेत्र के बारे में इमारत में सभी को स्चित र्
 - e. आपातकालीन असेंबली क्षेत्रों की सुरक्षा का आकलन 🗸
 - f. बाहर निकलने के मार्ग खाली करना या कोई अन्य मार्ग निर्दिष्ट करना
 - g. बाहर निकलने का आदेश देना 🗸
 - h. सब को आदेश संचार करना,
 - i. बाहर निकलने में सहायता करना और विशेष जरूरतों के छात्रों की मदद करना
 - j. सभी छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करना ^{*}
 - k. स्कूल पुनः प्रवेश की या कोई अन्य कार्रवाई की घोषणा करना
 - 2. आपातकातीन स्थिति भूकंप के दौरान अपने शरीर को मज़बूत मेज के नीचे रखकर मेज को कस कर पकड़ें और तब तक पकड़े रहें जब तक भूकंप के झटके थम न जाएं। सब :

झुको । द्को । पकड़ो । 🔲 🖺

- 3. खाली करने के आदेश निम्नतिखित का ध्यान रखा जाना चाहिए:
 - a. निकासी आदेश के बिना बाहर जाना शुरू नहीं करना चाहिए

- b. निकास आंशिक या पूर्ण हो सकता है c. आदेश संचार के लिए प्रक्रियाएं हर किसी को स्पष्ट होनी चाहिए 4. बाहर निकलने की प्रक्रिया - निम्नलिखित किया जाना चाहिए: a. बाहर निकलने के मार्गों और असेंबली क्षेत्र की जाँच b. बाहर निकलने के निर्देश तैयार हैं और इनहें सभी जानते हैं सभी हष्ट - पुष्ट छात्रों और कर्मचारियों को बाहर ले जाना d. सभी विकलांग छात्रों और कर्मचारियों को किसी के द्वारा मदद e. सभी क्षेत्रों की खोज और बाहर आने के बाद सभी लोगों की गणना करना 5. असेंबली और जवाबदेही - एक प्रणाली और टीम होंनी चाहिए जो: a. हर किसी की गणना करे b. रोल कॉल को दर्ज करे और स्कूल के प्रमुख को रिपोर्ट करे निर्धारित करे कि चिकित्सा सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत है d. आंतरिक और बाहय चिकित्सा और बचाव कर्मचारियों को प्राथमिक चिकित्सा और बचाव की जरूरत का संवाद करे 6. निकास के निष्कर्ष-- निम्नलिखित तय करने के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए: निकासी आदेश बर्खास्त करने की b. स्कूल की इमारत / वर्गों के लिए वापसी का समन्वय करने की
- - c. सीखे गए सबक / की गई गलतियां दर्ज करने के लिए
 - d. बिना किसी को दोष दिए, प्रतिभागियों को समस्याओं की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने की
 - e. भविष्य मे त्रुटियों से बचाने के लिए निकास योजना में संशोधन